राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–398 / 2009

प्रवीण कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अभियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, बांरा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिनांक 14.08.2008 को चुनौती दी गई है। इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवा संतोषजनक थी, जिसके आधार पर अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त गलत प्रकार से किया गया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को उसका सेवाकाल लगातार कलंकित रहने पर प्रशासनिक आवश्यकता व जनहित के अन्तर्गत 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त आन्तरिक स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी की सिफारिश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम– 53(1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति, तीन माह का नोटिस वेतन प्रदान करते हुए प्रदान की गयी है। अपीलार्थी के पूरे सेवाकाल में उसे अनुशासनहीनता, तुनक मिजाजी और कार्य के प्रति उदासीनता होने के कारण कई बार दण्डित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक को कर्मचारी दुर्व्यवहार, दुराचरण तथा अनुशानहीनता के कारण कई बार दण्डित किया जा चुका है व कई बार सुधार हेतु चेतावनी दी गयी है परन्तु अपीलार्थी के कार्य व व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। अपीलार्थी का आचरण व व्यवहार राज्य सेवा के योग्य नहीं हैं । इस प्रकार से अपीलार्थी का सम्पूर्ण सेवाभिलेख देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार आदेश दिनांक 14–8–2008 पूर्णतया राज्यहित व जनहित में जारी किया गया है। अपीलार्थी कई मौके सुधार हेतु दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी के आचरण में सुधार नहीं हुआ । इसलिये अपीलार्थी को अनुशासनहीनता, अकर्मण्य एवं स्वेच्छाचारिता का आदी होना पाया गया इसलिये अपीलार्थी को

जनसेवा के लिये अनुपयोगी मानते हुए जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है जो विधिसम्मत, युक्तियुक्त, सदभावनापूर्ण है। आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लघन नहीं है और अपीलार्थी किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन स्थापित करने में असमर्थ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा– 2 एफ के अन्तर्गत नही आता है । माननीय अधिकरण के समक्ष ऐसे किसी भी आदेश के विरूद्ध ही अपील सुनी जा सकती है जो कि अपीलार्थी को सीधे ही प्रभावित करता हो इसलिये वर्तमान प्रकरण राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा– 2 एफ के अन्तर्गत नहीं आने से अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी का सेवाकाल कलंकित ही नहीं निरन्तर कलंकित रहा है। अपीलार्थी को जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है वह आन्तरिक स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही प्रदान की गयी है और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार नियमों की पालना करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को उसके सेवाकाल में मिली 12 सजाओं का विवरण दिया है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी के सेवाकाल में कुल 12 आरोप लगे थे, जिनको दृष्टिगत रखते हुए स्क्रीनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी की सिफारिश के अनुसार अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति दी गई। यह नहीं माना जा सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी आधार के सेवानिवृत्ति की सिफारिश की है। स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के सेवाकाल में उसके आचरण पर आक्षेप लगते रहे हैं, जिनको दृष्टि में रखते हुए अपीलार्थी को सेवा में निरंतर रखना उचित नहीं माना है। प्रत्यर्थी विभाग को प्रशासनिक स्तर पर लिये गये निर्णयों को गलत नहीं माना जा सकता है।
4. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)